प्रेस नोट

दिनांक 29.05.2022

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 02 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति की गई कुर्क।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त उमानाथ गिरी उर्फ ओम गिरी पुत्र स्व0 राजेन्द्र गिरी निवासी ग्राम मढ़वर थाना जैतपुर जनपद अंबेडकरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 98/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जैतपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 2 करोड़ रुपए की निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क की गयी जिसका विवरण निम्नवत है।

01. अभियुक्त ओम गिरी उर्फ उमानाथ गिरी द्वारा ग्राम मढ़वरपुर परगना सुरहुरपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर में क्रय की गई गाटा संख्या 117छ/0.253 हे0 उक्त जमीन पर दो मंजिला स्कूल तथा बाउंड्रीवाल बनी हुई है जिसकी चौहद्दी उत्तर जमीन केदार नाथ, दक्षिण रास्ता, पूरब मन्दिर, पश्चिम रास्ता है।

उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग ओम गिरी उर्फ उमानाथ गिरी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गिरी निवासी मढ़वरपुर थाना जैतपुर जनपद अंबेडकरनगर व उसके परिवार द्वारा किया जा रहा था जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 02 करोड़ रुपये है।

नोटः- अभियुक्त आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा अपराध जगत में सक्रिय है एवं अपने आपराधिक क्रियाकलाप करते हुए अपराधी कृत्यों से धन अर्जित कर उसके द्वारा उपरोक्त अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया गया है।